पत्रांकः-भवन/स्था0-04-विविध-10/2025.....541 (भ)......./-

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

अवधेश नंदन सिन्हा,
सरकार के संयुक्त सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी अधीक्षण अभियंता,
भवन निर्माण विभाग, बिहार।

पटना, दिनांक- 15/1/26

विषयः- माननीय मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार के कार्यालय द्वारा ई-कम्पलायन्स के माध्यम से प्राप्त पत्र के अनुपालन के संबंध में।

प्रसंगः- माननीय मुख्यमंत्री सचिवालय का पत्रांक-2025021205, दिनांक-13.05.2025 एवं विभागीय पत्रांक-199(भ), दिनांक-08.01.2026.

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री सचिवालय का पत्रांक-2025021205, दिनांक-13.05.2025 (छायाप्रति संलग्न) में उठाए गए विन्दुओं पर विन्दुवार प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाए।

अनु0:-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

15.01.26.

(अवधेश नंदन सिन्हा)
सरकार के संयुक्त सचिव।

पत्रांक–डी०एम०सी०–1–एम–201/07/2025–26 (पार्ट–09)......199 (ग)अनु   139

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

सुरेश प्रसाद प्रभाकर
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव।

सेवा में,

संयुक्त ~~उप~~ सचिव (अराजपत्रित स्थापना),
भवन निर्माण विभाग, बिहार।

पटना, दिनांक –8/1/26

विषयः– माननीय मुख्यमंत्री सचिवालय बिहार के कार्यालय द्वारा ई–कम्पलायन्स के माध्यम से प्राप्त पत्र के अनुपालन के संबंध में।

प्रसंगः– मा० मु० मं० सचिवालय का पत्रांक–2025021205, दिनांक–13.05.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए कहना है कि विषयगत मामला तृतीय वर्गीय कर्मीयों के स्थानान्तरण से संबंधित है।

अतः उक्त प्रासंगिक पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि वर्णित बिंदुओं पर नियमानुकूल कार्रवाई करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराना चाहेंगे, ताकि मुख्यमंत्री सचिवालय को इसकी सूचना ससमय उपलब्ध करायी जा सके।

अनु०:–यथोक्त।

विश्वासभाजन

(सुरेश प्रसाद प्रभाकर)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव।

U.S. (अरा०)

श्री सचिव
13.01.26

199
12/1/26

13/1/26

E-Dashboard letter

सेवा में,

माननीय मुख्यमंत्री, बिहार पटना
सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार पटना
उप सचिव, अराजपत्रित स्थापना, बिहार पटना
अभियंता प्रमुख, भवन निर्माण विभाग, बिहार पटना
सभी मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग, बिहार पटना
सभी अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण विभाग। बिहार पटना

विषय :– तृतीय वर्गीय कर्मी का स्थानान्तरण करने के संबंध में।

महाशय,

उपर वर्णित विषय के संदर्भ में कहना है कि प्रत्येक तीन वर्ष पर तृतीय श्रेणी के कर्मी का स्थानान्तरण करने का सरकारी प्रावधान है। यह देखा जाता है कि सरकारी नियम की धज्जियाँ उड़ाते हुए सभी कर्मी का गृह जिला में ही स्थानान्तरण कर दिया जाता है। फिर तीन साल के बाद पुनर्मुसकोभवः के तर्ज पर पुराने पदस्थापित कार्यालय में स्थानान्तरण किया जाता है। एक अंचल अन्तर्गत 4–5 कार्यालय हैं तो कर्मी एक–दो कार्यालय में ही बराबर पदस्थापित रहते हैं जिसके कारण संवेदक से मिली भगत कर कार्यालय में धौंस जमाते हैं तथा लूट–खसोट करते हैं। कई कर्मी का तो 1–2 साल में ही या तो पुराने पदस्थपित कार्यालय में स्थानान्तरण हो जाता है नहीं तो प्रतिनियुक्ति कर दी जाती है। विगत तीन–चार पदस्थापन इतिहास का रेकर्ड जाँच में सब कुछ साफ–साफ दिखाई देने लगेगा। कोई भी कर्मी दूसरे जगह जाना नहीं चाहते हैं तथा मोटी रकम पहुँचा कर मनमाफिक जगह पर पुनः पहुँचकर अपना सिक्का चलाने लगते हैं। मुजफ्फरपुर, दरभंगा अंचल इसका जीता–जागता उदाहरण है।

श्रीमान् से अनुरोध है कि तृतीय वर्गीय कर्मचारियों का स्थानान्तरण राज्य स्तर से ही किया जाय। इन कर्मियों का सेवा इतिहास देखकर विगत तीन–चार पदस्थापन/प्रतिनियुक्त कार्यालय को छोड़कर ही तथा गृह जिला को भी छोड़कर जो सरकारी प्रावधान भी है स्थानान्तरण किया जाय।

सधन्यवाद !

विश्वासभाजन

Adil Ali
Vill- Chainpur
P.O - Damodarpur
P.S - Kanti
Dist - Muzaffarpur
Pin- 843113

Government of Bihar
Chief Minister Secretariat
Date-13/05/2025
2025021205